न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 211/2026

श्री महेन्द्र ढाका, पता ढाणी खारिया की, वीपीओ छापोली, तहसील उदयपुरवाटी, पिन कोड 333302, मो0न0 9588256402

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 21.05.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 06.05.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 211/2026 पर दिनांक 06.05.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/1389—90 दिनांक 06.05.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी ने पत्रांक सू0अ0अ0/26/94 दिनांक 15.05.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री महेन्द्र ढाका पुत्र श्री भागीरथमल ढाका, निवासी ढाणी खारियों की, वीपीओ छापोली के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन आवेदन संख्या 34895706618314 किया। आवेदन पत्र मे वर्णित सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र कमांक सू0अ0अ0/26/89 दिनांक 13.05.2026 के द्वारा निर्धारित अवधि मे ही उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी ने पत्रांक सू0अ0अ0/26/94 दिनांक 15.05.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री महेन्द्र ढाका पुत्र श्री भागीरथमल ढाका, निवासी ढाणी खारियों की, वीपीओ छापोली के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन आवेदन संख्या 34895706618314 किया। आवेदन पत्र मे वर्णित सूचना अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र कमांक सू0अ0अ0/26/89 दिनांक 13.05.2026 के द्वारा निर्धारित अवधि मे ही उपलब्ध करवा दी गई थी। चूंकि आवेदक को चाही गई सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 21.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं